

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 09/01/2026

File No.:ESTB-1024(1)/781/2025-PHE :: श्री राजेश गुप्ता, मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र-रायपुर को विभागीय आदेश क्रमांक File No.:ESTB-1024(1)/781/2025-PHE, दिनांक 09.01.2026 द्वारा जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवही बरतने एवं समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के बिना सामाग्री में परिवर्तन के लिए निलंबित किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा श्री राजेश गुप्ता, मुख्य अभियंता के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-14 के तहत विभागीय जांच संस्थित करता है।

आयुक्त विभागीय जांच छत्तीसगढ़, जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रमुख अभियंता (नाम से), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इन्द्रावती भवन, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होंगे।

3/ जांचकर्ता अधिकारी जांच प्रतिवेदन 01 माह की समय अवधि में प्रस्तुत करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

Digitally signed by
TULA RAM BHATPAHARI
Date: 09-01-2026
22:54:44

(श्री टी.आर. भतपहरी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

निरन्तर.....02

//2//

पृ. File No.:ESTB-1024(1)/781/2025-PHE

नवा रायपुर, दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर.
 2. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर.
 3. आयुक्त विभागीय जांच छत्तीसगढ़ रायपुर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर प्रकरण के दस्तावेज जांच प्रतिवेदन 01 माह के भीतर प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
 4. मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, सिविल लाईन रायपुर छ.ग.
 5. प्रमुख अभियंता (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर.
 6. श्री राजेश गुप्ता, मुख्य अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।
7. आर्डर बुक।

Digitally signed by
TULA RAM BHATPAHARI
Date: 09-01-2026
22:55:14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग